



प्रेसनोट, दिनांक 07.04.2026
थाना पुरवा, जनपद उन्नाव

थाना पुरवा पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में लूट की घटना का खुलासा

लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी गैंगस्टर व गिरोह के 06 सदस्य गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 25 हजार रुपये के ईनामी गैंगस्टर व गिरोह के 06 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 25.02.2026 को थाना पुरवा पर वादी श्री महेश कुमार पुत्र पुत्तिलाल निवासी ग्राम भूपतिपुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव की तहरीरी सूचना पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पत्नी के हाथ से हैंड बैग जिसमें नगदी व जेवर थे को लूट कर भाग जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 50/2026 धारा 309 बी.एन.एस पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण हेतु गठित थाना पुरवा पुलिस व एस.ओ.जी टीम व सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्तगण तलाश की जा रही थी। दिनांक 06.04.2026 को थाना पुरवा पुलिस व एस.ओ.जी टीम व सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से पुरवा अचलगंज मार्ग स्थित शारदा नहर पुलिस के पास चैकिंग कर रहे थे कि अचलगंज की तरफ से मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखे जिन्हे हाथ देकर रुकने का संकेत दिया गया जिस पर मोटरसाइकिल सवार, मोटरसाइकिल धीमी कर अचानक तेज गति से शारदा नहर के किनारे सड़क पट्टी जो टीकरखुर्द की तरफ जाती है, तेजी से भागे जिन्हे पकडने का प्रयास किया गया जिस पर मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर गिर पडे और उठते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिससे प्रभारी निरीक्षक पुरवा द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी जबाबी कार्यवाही में एक व्यक्ति के दाहिने पैर में घुटने से नीचे गोली लगी, घायल व्यक्ति का नाम पता पूछा तथा जामा तलाशी की गई तो अपना नाम इरफान अहमद पुत्र अली हुसैन निवासी हाल पता ताडबगिया जाजमऊ थाना चकेरी कानपुर नगर मूल पता ग्राम त्रिवुभनखेडा निकट बियर बार के सामने थाना गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष बताया, तथा दूसरे व्यक्ति को पुलिस टीम के उ0नि0 रामेश्वर सिंह, का0 प्रदीप कुमार के द्वारा पीछा कर पकड़ लिया जिससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रेम सिंह पुत्र देशराज सिंह निवासी वाहेपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 26 वर्ष बताया। गहनता से पूछताछ करने पर इरफान ने बताया कि दिनांकित 25.02.2026 को समय करीब शाम 06.00 बजे मैं अकेले एक चोरी की मोटरसाइकिल सफेद रंग की आपाचे लेकर लूट करने की इरादे से पुरवा से मोहनलालगंज जाने वाली रोड पर मोटरसाइकिल सवार दंपित के साथ लूट की घटना कारित की थी। इसके बाद मैंने घटना में प्रयुक्त उक्त आपाचे मोटसाइकिल को ठिकाने लगाने के लिये जमीलुद्दीन पुत्र रज्जब अली निवासी ग्राम आजाद नगर सुपासी थाना अचलगंज जनपद उन्नाव, सादाब पुत्र रजवली निवासी ग्राम आजाद नगर सुपासी थाना अचलगंज जनपद उन्नाव तथा विपिन जयसबाल पुत्र राकेश जयसबाल निवासी मोहल्ला श्यामनगर बाईपास थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर को दे दिया था। ये सब लोग कबाडी का काम करते है इन लोगो ने लूट

की घटना में प्रयुक्त की गयी आपाचे सफेद रंग मोटरसाइकिल को काट कर कबाड के रूप में अलग – अलग पूर्ण करके बेच दिया जिससे की कोई पहचान न हो सके तथा महिला से छीने गये बेग में एक हाफ पेटी व 1500 रुपये मिले थे रुपये मैंने खर्च कर दिये तथा हाफ पेटी गलाने के उद्देश्य से अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अनीस निवासी मोहल्ला सिद्धनाथ घाट दुर्गा मन्दिर थाना जाजमऊ कानपुर नगर को दे दिया था, अब्दुल मजीद ने हाफ पेटी को गलाने हेतु ज्वैलर्स फाजिल उर्फ लकी पुत्र मो0 फईम निवासी मोतीनगर मदीना मस्जिद थाना जाजमऊ कानपुर नगर को दे दिया था। अभियुक्त इरफान जनपद उन्नाव के थाना अजगैन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/25 धारा 2/3 यू पी गैंगस्टर मे वांछित है व अभियुक्त इरफान उपरोक्त पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस मुठभेद के सम्बन्ध में थाना पुरवा पर मुकदमा अपराध संख्या 78/2026 धारा 109,317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त द्वारा बताये गये साथियों 1.जमीलुद्दीन पुत्र रज्जब अली निवासी ग्राम आजाद नगर सुपासी थाना अचलंगज जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष 2. सादाब पुत्र रजवली निवासी ग्राम आजाद नगर सुपासी थाना अचलंगज जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष 3. विपिन जयसबाल पुत्र राकेश जयसबाल निवासी मोहल्ला श्यामनगर बाईपास थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष 4.अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अनीस निवासी मोहल्ला सिद्धनाथ घाट दुर्गा मन्दिर थाना जाजमऊ कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त ज्वैलर्स फाजिल उर्फ लकी पुत्र मो0 फहीम निवासी मोतीनगर मदीना मस्जिद थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 50/2026 से सम्बन्धित माल बजन 250 ग्राम हाफ पैटी सफेद धातु बरामद कर अचलंगज बदरका के मध्य उन्नाव रायबरेली रोड बाईपास पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों द्वारा भी अपने जुर्म की स्वीकारोक्ति की गई है इनके द्वारा किये गये कृत्य के आधार पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 309(2) BNS में धारा 61(2),238 BNS की बढोत्तरी की गयी एवं अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। घटना के अनावरण के संदर्भ में घटना का खुलासा करने वाली पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की टीम को पूर्व में घोषित 25,000 रु0 का नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

अपराध करने का तरीका- अभियुक्त इरफान अहमद उपरोक्त बहुत शातिर किस्म का लुटेरा है। वर्तमान समय में गुरुग्राम में रह कर मजदूरी करता है। इसका कोई स्थायी निवास नहीं है। अभियुक्त द्वारा नियमित अंतराल पर उन्नाव आकर मजीद उपरोक्त के घर पर रुकता है तथा दूसरे दिन जनपद कानपुर से बाइक चोरी करके लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर में लूट की घटना कारित करता है फिर लूट का माल व बाइक अपने गिरोह के साथियों को दे देता है। इनके द्वारा जेवर लकी ज्वैलर्स को दिया जाता है तथा बाइक को काटकर कबाड के रूप में बेच दिया जाता है, घटना कारित करने के बाद अभियुक्त पुनः गुरुग्राम चला जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. इरफान अहमद पुत्र अली हुसैन निवासी हाल पता ताडबगिया जाजमऊ थाना चकेरी कानपुर नगर मूल पता ग्राम त्रिवुभनखेडा निकट बियर बार के सामने थाना गंगाघाट उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष
2. प्रेम सिंह पुत्र देशराज सिंह निवासी वाहेपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 26 वर्ष
3. जमीलुद्दीन पुत्र रज्जब अली निवासी ग्राम आजाद नगर सुपासी थाना अचलंगज जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष
4. सादाब पुत्र रजवली निवासी ग्राम आजाद नगर सुपासी थाना अचलंगज जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष
5. विपिन जयसबाल पुत्र राकेश जयसबाल निवासी मोहल्ला श्यामनगर बाईपास थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष
- 6.अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अनीस निवासी मोहल्ला सिद्धनाथ घाट दुर्गा मन्दिर थाना जाजमऊ कानपुर नगर
- 7.फाजिल उर्फ लकी पुत्र मो0 फहीम नि0 मोतीनगर मदीना मस्जिद थाना जाजमऊ जनपद कानपुर नगर

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तंमचा 315 बोर , 01अदद जिन्दा कारतूस,01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद कीपैड फोन लाबा (अभियुक्त इरफान के कब्जे से बरामद)
2. एक अदद एन्ड्रोइड मोबाइल फोन रियलमी(अभियुक्त प्रेम सिंह के कब्जे बरामद)
3. 01 अदद चोरी की मोसा0 अपाचे रंग नीला नम्बर UP 78 GJ 5136 संबन्धित मु0अ0सं0 329/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर (अभियुक्त इरफान व प्रेम सिंह के कब्जे से)
4. 250 ग्राम हॉफ पेटी सफेद धातु (अभियुक्त फाजिल उपरोक्त के कब्जे से)

आपराधिक इतिहास इरफान अहमद पुत्र अली हुसैन निवासी ताडबगिया जाजमऊ थाना चकेरी कानपुर नगर आवसिया वर्तमान पता ग्राम त्रिवुभनखेडा निकट बियर बार के सामने थाना गंगाघाट उन्नाव ।

1. मु0अ0सं0 176/22 धारा 379,411 भादवि थाना किदवई नगर
2. मु0अ0सं0 125/21 धारा 392,398,401,411 भादवि बक्षि का तालाब लखनऊ
3. मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बक्षि का तालाब लखनऊ .
4. मु0अ0सं0 535/22 धारा 392, 411 भादवि थाना बछरावा रायबरेली
5. मु0अ0सं0 542/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बछरावा रायबरेली
6. मु0अ0सं0 543/22 धारा 467,468,471 भादवि थाना बछरावा रायबरेली
7. मु0अ0सं0 639/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बछरावा रायबरेली
8. मु0अ0सं0 305/22 धारा 392,411 भादवि थाना हरचंद पुर रायबरेली
9. मु0अ0सं0 306/22 धारा 392,411 भादवि थाना हरचंद पुर रायबरेली
10. मु0अ0सं0 263/24 धारा 309(4),317(2) bns थाना अजगैन उन्नाव
11. मु0अ0सं0 315/24 धारा 109 bns व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अजगैन उन्नाव
12. मु0अ0सं0 13/25 धारा 2/3 यू.पी गैंगस्टर अधिनियम थाना अजगैन उन्नाव
13. मु0अ0सं0 563/18 धारा 392/411 भादवि थाना गंगाघाट उन्नाव
14. मु0अ0सं0 615/18 धारा 392 भादवि थाना गंगाघाट उन्नाव
15. मु0अ0सं0 37/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगाघाट उन्नाव
16. मु0अ0सं0 391/2019 धारा 392,411 भादवि थाना गंगाघाट उन्नाव
17. मु0अ0सं0 757/2019 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
18. मु0अ0सं0 230/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
19. मु0अ0सं0 379/ 23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
20. मु0अ0सं0 380/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
21. मु0अ0सं0 537/23 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर अधि0 थाना कोतवाली उन्नाव
22. मु0अ0सं0 78/26 धारा 109,317(2) BNS व 3/25 आर्म्स, एक्ट थाना पुरवा
23. मु0अ0सं0 329/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर

अभियुक्त प्रेम सिंह पुत्र देशराज सिंह निवासी वाहेपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 78/26 धारा 109,317(2) BNS व 3/25 आर्म्स, एक्ट थाना पुरवा
2. मु0अ0सं0 329/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० श्री भवन सिंह मौर्य
2. उ०नि० श्री सियाराम चौरसिया
3. उ०नि० श्री रामेश्वर सिंह
4. हे०का० धीरेन्द्र कुमार
5. का० प्रदीप कुमार
6. का० नेत्रपाल
7. का० हरिओम
8. का० दीपक कुमार
9. का० रामपाल
10. का० अंशुल सिंह
11. का० विरेन्द्र सागर

एसओजी/स्वाट टीम

1. निरीक्षक श्री जयप्रकाश यादव(प्रभारी स्वाट टीम)
2. उ०नि० श्री ज्ञान सिंह
3. हे०का० आशीष मिश्रा
4. का० विकास सिंह
5. का० नितीश यादव
6. का० यशवीर सिंह
7. का० हरेश कुमार
8. का० राहुल
9. का० गौरव
10. का० शुभम कुमार

सर्विलांस टीम

1. उ०नि० श्री अतुल कुमार (प्रभारी सर्विलांस)
2. हे०का० सुदीप कटियार
3. हे०का० रोहित शर्मा
4. हे०का० शीतांशु गंगवार
5. का० प्रशांत बालियान
6. का० विवेक कुमार
7. का० आकाश बालियान
8. का० अरुण कुमार



प्रेसनोट, दिनांक 07.04.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो अभियुक्त गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 30.03.2026 को थाना कोतवाली सदर उन्नाव पर वादी मुकदमा श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 गिरजाशंकर निवासी ग्राम रिठनई थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा उसके व उसके चाचा राजकुमार पुत्र देवी प्रसाद नि0 ग्राम रिठनई थाना अचलगंज जिला उन्नाव के नाम पर नगर मजिस्ट्रेट उन्नाव के न्यायालय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कूट रचित प्रपत्र तैयार कर जेल में निरुद्ध अभियुक्त गुफरान पुत्र इकबाल निवासी 49/15 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की जमानत लेने के सम्बन्ध में प्रा0 पत्र दिया गया। जिसपर वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 174/2026 धारा 318(4)/319(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 पंकज राज शरद को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त गुफरान पुत्र इकबाल निवासी 49/15 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के जिला कारागार उन्नाव में निरुद्ध रहने के दौरान उसके व अभियुक्त सोहेल अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी 54/1 शेखवाड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के बीच हुई वार्ता के क्रम में जमानत सम्बन्धी कार्यों को कराने का जिम्मा सोहेल अहमद उपरोक्त द्वारा लिया गया। जिसमें अभियुक्त सोहेल अहमद द्वारा गुफरान के पिता इकबाल से जमानत कराने के ऐवज में रु0 22000/ लिये गये अपने साथी/मुंशी रंजीत नि0 शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव की मदद से वादी मुकदमा संजय कुमार पुत्र स्व0 गिरजाशंकर व उसके चाचा राजकुमार पुत्र देवी प्रसाद उपरोक्त के फर्जी/कूट रचित आधार कार्ड, ग्राम प्रधान का निवास प्रमाण पत्र एवं थाने की रिपोर्ट आदि मय मोहर के बनायी गयी तथा सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव के कोर्ट में प्रस्तुत कर जमानत ले ली गयी। दिनांक 06.04.2026 को विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1.गुफरान पुत्र इकबाल निवासी 49/15 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 2.सोहेल अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी 54/1 शेखवाड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को काशीराम मोड़ से गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त सोहेल अहमद के कब्जे से कूट रचना हेतु 08 अदद फर्जी मुहर 11 अदद आधार कार्ड, 01 इंक पैड आदि बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त सोहेल व रंजीत द्वारा अन्य कई मामलो में फर्जी/कूट रचित प्रपत्र बनाकर जमानत लिया जाना प्रकाश में आ रहा है जिसकी जांच जारी है। अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. गुफरान पुत्र इकबाल निवासी 49/15 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष
2. सोहेल अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी 54/1 शेखवाड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 60 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. 08 अदद फर्जी मुहर
2. 01 अदद इंक पैड
3. 11 अदद आधार कार्ड

अभियुक्त गुफरान का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 901/19 धारा 395/412 भादवि थाना कोतवाली सदर उन्नाव
2. मु0अ0सं0 948/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कोतवाली सदर उन्नाव
3. मु0अ0सं0 854/21 धारा 411 भादवि थाना कोतवाली सदर उन्नाव
4. मु0अ0सं0 609/22 धारा 323/504/506/452/354बी भादवि 3(2)va एसटी एससी एक्ट थाना कोतवाली सदर उन्नाव
5. मु0अ0सं0 639/24 धारा 115(2)/352/351(3) /85 बीएनएस थाना कोतवाली सदर उन्नाव
6. मु0अ0सं0 174/26 धारा 318(4)/319(2) /336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली सदर उन्नाव

अभियुक्त सोहेल का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 174/26 धारा 318(4)/319(2) /336(3)/338/340(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली सदर उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव
2. उ0नि0 पंकज राज शरद चौकी प्रभारी सिविल लाइन
3. हे0का0 राम देव प्रजापति , थाना कोतवाली सदर
4. का0 रजत , थाना कोतवाली सदर
5. का0 अमित , थाना कोतवाली सदर
6. म0का0 गायत्री वर्मा थाना कोतवाली सदर